रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072021-228357
CG-DL-E-19072021-228357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2021/आषाढ़ 28, 1943
No. 396] NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2021/ASHADHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

संख्या 37/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 494(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 46/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) उक्त सारणी में, क्रम संख्या 2 और 3 के समक्ष, कॉलम (3) में "सीमा शुल्क" शब्दों के स्थान पर "उक्त शुल्क, कर या उपकर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(घ) जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 2 और 3 में उल्लिखित वस्तुओं पर, उक्त प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सीमाशुल्क के अतिरिक्त उक्त टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहणीय एकीकृत कर और उपकर, जो कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट मूल्य पर परिकलित है, लागू होता है, तथा उक्त क्रम संख्याओं के अंतर्गत मिलने वाली छूट केवल उक्त शुल्क, कर और उपकर की उस राशि से है जो ऐसी परिकलित राशि से ऊपर हो ।" ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/96/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 46/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2021

No. 37/2021-Customs

G.S.R. 494(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 46/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 30th June, 2017, namely: -

In the said notification, -

(i) in the Table, against serial numbers 2 and 3, in column (3), for the words 'Duty of customs", the words "Said duty, tax or cess" shall be substituted;

(ii) in the Explanation, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

"(d) on recommendation of the GST Council, for removal of doubt, it is clarified that the goods mentioned at serial numbers 2 and 3 of the Table, are leviable to integrated tax and cess as leviable under the said Customs Tariff Act, besides the customs duty as specified in the said First Schedule, calculated on the value as specified in column (3), and the exemption, under said serial numbers, is only from the amount of said tax, cess and duty over and above the amount so calculated.".

[F. No. CBIC-190354/96/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 46/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 30th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.19 16:08:17 +05'30'